उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या: 05 /2022/80/26-3-2023- CN 1396097
लखनऊ दिनांक 06 जनवरी 2023

**शासनादेश सं0-04/2023/29/26-3-2023 CN 1396097 दिनांक 06-1-2023 का शुद्धि पत्र**

वित्तीय वर्ष /शैक्षिक सत्र **2022-23** में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा **9** व **10**) की कक्षाओं से संबंधित डाटा का जनपद स्तर से अवशेष सत्यापन पूर्ण कराये जाने के संबंध में शासनादेश सं**0-04/2023/29/26-3-2023 CN 1396097** दिनांक **06-1-2023** द्वारा पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा **9** व **10**) योजनान्तर्गत पोर्टल खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसके सापेक्ष निदेशक समाज कल्याण के पत्रांक-**4014/स0क0/**शिक्षा-अ/**2/76/2022-23** दिनांक **06-1-2023** द्वारा यह अवगत कराया गया है **कि पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत केवल अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये पोर्टल खोला जाना है।** तदनुसार जारी किये गये शासनादेश सं**0-04/2023/29/26-3-2023 CN 1396097** दिनांक **06-1-2023** के संबंध में उक्तानुसार संशोधन जारी कराये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अत: निदेशक समाज कल्याण के उक्त प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश सं0-04/2023/29/26-3-2023 **CN** 1396097 दिनांक 06-1-2023 को संशोधित करते हुये एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश सं0-04/2023/29/26-3-2023 **CN** 1396097 दिनांक 06-1-2023 के अनुक्रम में **पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत केवल अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये पोर्टल खोला जायेगा।** अत: अन्य विभागों द्वारा शासनादेश सं0-04/2023/29/26-3-2023 **CN** 1396097 दिनांक 06-1-2023 के अनुक्रम में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

3- तद्नुसार शासनादेश सं0-04/2023/29/26-3-2023 **CN** 1396097 दिनांक 06-1-2023 को उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी)
उप सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक, समाज कल्याण को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार जारी किये गये शुद्धि पत्र को निदेशालय स्तर से सर्व सम्बन्धित को प्रेषित/प्रसारित कराकर अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी)
उप सचिव।